

22/6

पत्रावली पेश की। वारी एक वादो अधिकत
को लीन कर मुक्त मुक्त कर आवाज लगाने
पर भी उपरोक्त नहीं है। परीक्षा सरकार
उपरोक्त है। अतः पत्रावली अफस हाउरी
अफस पेशी के इकाई की जारी है।
पत्रावली फेरव शुमार हैकर
कोद दाखला नम्बर के क्रम है। निर्णय सुनाया

थापा

उपरोक्त अधिकारी
सापेक्ष (भोलवाड़ा)

13215 वकील वादीने बताया की आ. पत्र 03 लिफ्त
09 वक हागा 151 आ. की दिनांक 13.2.14 को
अलीकार हागा ही अतः पत्रावली को पुर्न
गारबा पर लेकर ही अलिगढ़ विषय
जावे।

अतः पुनः आ. को बज्र शिवालय विषय
जावे वादी वकील प्रतिवादीने अम्मल
गोपनी पेश करे। पत्रावली दिनांक 9-7-15
को पेश है।

29515

पत्रावली पेश कोर्ट के मजिस्ट्रेट पेश /
नहशीलदार माण्डल में मौका रिपोर्ट मगाई
गई रिपोर्ट के पलवार में बताया गया कि
वादी हमीद खान पितावाले खान पखान ग्राम
मेजा में आबल आराजी नम्बर 1609 में
मिलन नं. 145/12 ग्राम मेजा में 5 बीघा भूमि
वा आबल हुआ। बतमान आरा 104-105
दिला 2 शकका 4.04 मिलान शीट अद्युसार
आबल बताया है जो बतमान में पत्रावली
दजा है।

उक्त आराजीयात परनाहमे दर्ज हुआ
आबल 26 मान बताया अरवार को निर्णय
अधमाका लखी

रसिद

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

पुर्वी चरगाह भूमि क्षेत्र ग्राम पर वारदा
वाहता है जो प्रतिबंधित भूमि की क्षेत्र
में आती है

राजस्व वाद का अवलोकन विषय आपके
लाहसीबदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन विषय
गया।

उक्त ग्राम में जाके वर्तमान आ.सं. 184-185
की तारीख का म.05 मिलानुशील अनुसूची 51 पर
सर्वेक्षण करता है जो वर्तमान में चरगाह भूमि
होकर अब्दुल रहमान के नाम राज्य सरकार के
निर्णय से अर्वाचित है.

उक्त वाद का वाद पत्र 2 बारी जांच में
जाता है दिखी जाये है।

आज यह निर्णय मुझे न्यायालय में भुगतान
गया।

पत्रावली नंबर 184 का नम्बर 2
कम है।

(देवी सिंह)
वीवतीन अधिकारी
उपस्थित अधिकारी एवं
बदेन तहसील कलेक्टर माण्डल